मध्यप्रदेश प्रदेश शासन
गृह विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

क्रमाकः F. 12/39/09/B-2/दो भोपाल, दिः 30 .[?].2009

प्रति,

1. प्रमुख सचिव, उच्च शिक्षा/तकनीकी शिक्षा/चिकित्सा शिक्षा/स्कूल शिक्षा विभाग, म0प्र0 शासन।
2. समस्त संभागायुक्त, म0प्र0
3. आयुक्त, उच्च शिक्षण/लोक शिक्षण संचालनालय, भोपाल।
4. आयुक्त, राज्य शिक्षा केंद्र, भोपाल।
5. संचालक, चिकित्सा शिक्षा/रोजगार एवं प्रशिक्षण, प्रशिक्षण।
6. समस्त कलेक्टर, म0प्र0,

विषय–स्कूल भवनों, महाविद्यालय/यूनिर्वसिटी भवनों, इन्स्टीट्यूट भवनों, आदि के लिए अग्नि सुरक्षा निर्देश (फायर आर्डर)

–0–

माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशानुसार प्रदेश के समस्त स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालयों में फायर फायटिंग व्यवस्था "जनरल सेफ्टी कोड ऑफ प्रेक्टिस तथा नेश्नल बिल्डिंग कोड, भाग–4" के अनुसार प्रावधानित है। अतः फस्ट एड फायर फायटिंग व्यवस्था आई0एस0–2190 तथा फिक्सड फायर फायटिंग इंस्टालेशन एवं इमरजेंसी एग्जिट गैंगवेज, ट्रेवलिंग डिस्टेंस तथा फायर ड्रिल आदि के लिए नेश्नल बिल्डिंग कोड, भाग–4 एवं आई0एस0–3844 के अनुसार तथा फायर रिस्क असससेमेंट करके निम्नानुसार अग्नि व्यवस्था करवायी जाना आवश्यक होगा। इसलिए जनरल गाईड लाईन समस्त स्कूलों, महाविद्यालयों, विश्वविद्यालय के लिए निम्नानुसार है–

1. सामान्य निर्देश–

1. सभी स्कूल भवनों में इस परिपत्र के अनुसार फायर फायटिंग उपकरणों को स्थापित किया जावे।
2. सभी स्कूल भवनों के निर्गम मार्ग बाधा रहित होने चाहिए एवं सभी निर्गम के दरवाजे अधिभोग के दौरान खुले हुए होने चाहिए।
3. स्कूल भवन का चौकीदार/देखभाल करने वाले के द्वारा स्कूल समय के पश्चात् अथवा स्कूल बंद होने पर, जो भी बाद में हो, उस समय सभी विद्युत उपकरणों के स्विच बंद कर देना चाहिए।
4. एल0पी0जी0 सिलेण्डर के स्टोरेज हेतु उचित व्यवस्था होनी चाहिए। एल0पी0जी0 सिलेण्डर को पृथक प्रांगण/बाडे जो कि क्लास रूम से दूर स्टोर/स्थापित करना चाहिए, ताकि एल0पी0जी0 सिलेण्डर से गैस लीकेज

होने पर भवन में अग्निप्रसार की संभावना न हो।जबकभी एल0पी0जी0 को प्रयोगशाला के लिए दी जाती है, तब एल0पी0जी0 के उपयोग के पहलें सामान्य पूर्वविधान/पूर्व उपायों को आवश्यक रूप से ग्राह्य करना चाहिए, जैसे कि– चूल्हे को विद्युत तारों से दूर रखना चाहिए, जो कि स्पार्किंग का कारण बन सकता है। इसी प्रकार एल0पी0जी0 सिलेण्डर को उपयुक्त हवादार/खुले स्थान से दूर रखना चाहिए। रबर ट्यूब जो कि एल0पी0जी0 सिलेण्डर से चूल्हे तक गैस को ले जाने का काम करती है, को समय–समय पर नियमित रूप से चैक करते रहना चाहिए साथ ही यदि आवश्यक हो तो उसे बदला भी जावे। जब एल0पी0जी0 गैस की गंध (जो कि गैस लीकेज का लक्षण है) महसूस हो, उस समय माचिस का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा विद्युत बिंदू/स्विचों को ऑफ या ऑन नहीं करना चाहिए। गैस लीकेज के समय, दरवाजे एवं खिडकियों को खोल देना ,चाहिए। किसी भी परिस्थिति में एल0पी0जी0 गैस के संधारण के स्थान पर विद्युत हीटर का उपयोग नहीं किया जा सकता है।

5. स्कूल भवन में लगने/लगी हुई विद्युत फिटिंग पाईप फिटिंग में अथवा दीवार के अंदर/अप्रकट रूप से स्थापित करवाई जानी चाहिए। जहॉ–कहीं स्कूल भवन में बाहरी विद्युत फिटिंग की गई है, उसे धातु के पाईप में लगवाने हेतु कार्यवाही की जावे। लूज वायरिंग का उपयोग नहीं किया जावे।
6. विद्युत सर्किट अतिभार (ओवर लोड) न किया जावे।
7. जहॉं तक संभव हो सके विद्युत मीटर बोर्ड को सीढियों के पास स्थापित न करवाया जावे एवं जहॉ यह पूर्व से स्थापित हैं, उन्हें धातु के बॉक्स में समावरित किया जावे।
8. स्कूल भवन के कक्षों एवं भोजन कक्षों का निर्माण अज्जवलनशील पदार्थों (क्लास–5 रेटिंग मटेरियल)से करवाया जावे।
9. भवन के भूतल का किसी भी परिस्थिति में क्लास रूम के रूप में उपयोग न किया जावे। भूतल के उपयोग/अधिभोग का निर्धारण ''बिल्डिंग बाय लॉज–1983'' के नियमों के अनुसार किया जावे।
10. आपातकालीन दूरभाष नम्बर जैसे कि– 100, 101 एवं 102 साथ ही साथ स्थानीय एवं समीप के फायर स्टेशन एवं पुलिस स्टेशन का नम्बर स्कूल भवन में विशेष रूप प्रदर्शित किया जावे।
11. अग्नि/दुर्घटना स्थल से बच निकलने की ड्रिल 3 माह में एक बार करवाई जानी चाहिए। उक्त संबंध में पुलिस अग्निशमन सेवा, मुख्यालय, भोपाल को निवेदन किया जा सकता है। अग्नि/दुर्घटना स्थल से बच निकलने की ड्रिल के निरीक्षण एवं परामर्श हेतु अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रतिनियुक्त किया जावेगा।

12. जहाँ स्कूल भवन में जनरेटर सेट उपयोग किये जाते हैं, वहाँ ध्वनि एवं वायु प्रदुषण को दृष्टिगत रखते हुए यह सुनिश्चित किया जावे कि जनरेटर भवन के पृथक मंजिल अथवा भवन के पृथक भाग में लगाया जावे जहाँ बाहर से सीधे पहुँच मार्ग हो।

13. स्कूल भवन के समस्त फर्नीचर, कुर्सी एवं टेबल आदि सभी फायर रसिस्टेंट पेंट, जो कि "केंद्रीय भवन एवं रिसर्च इस्टीट्यूट, रूडकी" से अनुमोदित है, से पेंट किये गए हों। जब कभी स्कूल भवन के लिए नवीन फर्नीचर क्रय किया जावे तो यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि फर्नीचर या तो फायर रजिस्टेंट पेंट से पेंट किया गया हो अथवा फायर रजिस्टेंट मटेरियल का बना हो।

14. भवनों में फायर रजिस्टेंट केबिल्स तथा फायर रिटार्डेट कर्टेन (परदे), सभागारों तथा पब्लिक प्लेस में उपयोग किया जाना चाहिए।

15. प्रत्येक क्लास रूम, जिसकी क्षमता 45 छात्रों से अधिक हो उसमें कम से कम 02 दरवाजे होना आवश्यक हैं। (राष्ट्रीय भवन संहिता नियम– 10.4.2)

16. भवन के ऊपरी तलों में कम से कम 2 निकासी द्वार, जहाँ तक संभव हो सके विपरीत दिशाओं में होने चाहिए। (राष्ट्रीय भवन संहिता नियम– 10.4.2)

<u>**2. निश्चित/आवश्यक उपाय–**</u>

<u>**ए– वे स्कूल जिनमें केवल ग्राउण्ड फ्लोर उपलब्ध हैं–**</u>

1. 01 कार्बन डाय ऑक्साईड टाईप फायर एक्सटींग्यूशर– 2.5 के0जी0 क्षमता, जो कि आई0एस0आई0 मार्क हो अथवा 01 ए0बी0सी0 टाईप एक्सटींग्यूशर, जो कि आई0एस0आई0 मार्क हो, प्रत्येक 300 वर्गमीटर के क्षेत्र में स्थापित करवाया जाना चाहिए अथवा उक्त क्षेत्रफल के आधार पर प्रत्येक फ्लोर पर कम से कम उक्त 02 फायर एक्सटींग्यूशर स्थापित करवाए जावें। इसके अतिरिक्त एक फायर एक्सटींग्यूशर प्रत्येक प्रयोगशाला के पास जहाँ विद्युत उपकरणों का संधारण किया जाता है, वहाँ पर स्थापित करवाया जावे।

2. यदि भवन में भूतल है, तो उक्त स्थान पर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करवाया जावे।

3. भवन में भूतल होने की स्थिति में 450 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का फायर पंप, जिसकी वाटर हैड क्षमता (पानी को ऊँचाई तक पहुँचाने की क्षमता) 40 मीटर (प्रेशर –4 किग्रा/वर्ग सेमी), एवं 180 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का एक जोकी पंप जिसकी वाटर हैड क्षमता (पानी को ऊँचाई तक पहुँचाने की क्षमता) 40 मीटर (प्रेशर –4 किग्रा/वर्ग सेमी) को छत पर स्थापित करवाया जावे। सभी पंप स्वचलित स्थिति में होने चाहिए।

4. 5000 लीटर का एक ओवरहैड टैंक (छत पर रखे जाने वाला) अनिवार्य रूप से स्प्रिंकलर सिस्टम को जल प्रदाय किये जाने हेतु स्थापित किया जावे।

बी– वे स्कूल भवन जिनमें ग्राउण्ड फ्लोर तथा ऊपर दो तल उपलब्ध हों–

1. 01 कार्बन डाय ऑक्साईड टाईप फायर एक्सटींग्यूशर– 2.5 के0जी0 क्षमता, जो कि आई0एस0आई0 मार्क हो अथवा 01 ए0बी0सी0 टाईप एक्सटींग्यूशर, जो कि आई0एस0आई0 मार्क हो, प्रत्येक 300 वर्गमीटर के क्षेत्र में स्थापित करवाया जाना चाहिए अथवा क्षेत्रफल के आधार पर प्रत्येक फ्लोर पर कम से कम उक्त 02 फायर एक्सटींग्यूशर स्थापित करवाए जावें। इसके अतिरिक्त एक फायर एक्सटींग्यूशर प्रत्येक प्रयोगशाला के पास जहाँ विद्युत उपकरणों का संधारण किया जाता है, वहाँ पर तथा –अथवा जनरेटर रूम में स्थापित करवाया जावे।
2. प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के क्षेत्र अथवा उक्त क्षेत्र के अनुपात में भवन का प्रत्येक तल में एक 30 मीटर लंबी "होज रील होज", जिसके अंत में एक 5–6 मि0मी0 व्यास का नोजल लगा हो स्थापित करवाई जावे।
3. वे स्कूल भवन जहाँ ग्राउण्ड फ्लोर, प्रथम तल से अधिक तल हों ऐसे भवन में आंतरिक हायड्रेंट एवं एक होज बाक्स , जिसमें 15 मीटर लंबाई की 02 होज, जिसका व्यास 50 मि0मी0 एवं 63 मि0मी0 कपलिंग साहित 12 मि0मी0 व्यास का नोजल रखा हों, प्रत्येक तल में स्थापित करवाया जावे, जो कि भवन के छत में स्थापित वाटर टैंक से जुडे हों।
4. भवन के छत पर 2500 लीटर क्षमता का वाटर टैंक स्थापित होना चाहिए यदि भवन में स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करवाया गया है तो उक्त टैंक की क्षमता 5000 लीटर होनी चाहिए।
5. यदि भवन में भूतल है, तो उक्त स्थान पर स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करवाया जावे।
6. 220 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का टग्नि पंप, जिसकी वाटर हैड क्षमता (पानी को ऊँचाई तक पहुँचाने की क्षमता) 40 मीटर हो छत पर होज रील प्रणाली के लिए (यदि भवन में स्प्रिंकलर प्रणाली भी स्थापित की गई है, तो 450 एल0पी0एम0 क्षमता का फायर पंप जिसकी वाटर हैड क्षमता 40 मीटर को भवन की छत पर स्थापित करवाया जाना चाहिए साथ ही 180 एल0पी0एम0 का जोकी पंप जिसकी वाटर हैड क्षमता 40 मीटर हो को भी स्थापित करवाया जाना चाहिए) स्थापित करवाया जाना चाहिए। पंप स्वचलित स्थिति में होने चाहिए।
7. वह भवन जिनका निर्माण क्षेत्र 5000 वर्ग मीटर से 10,000 वर्ग मीटर तक हो वहाँ पर एक 25,000 लीटर क्षमता का वाटर टैंक स्थापित करवाया जावे। 10,000 वर्ग मीटर से अधिक के क्षेत्रफल वाले भवन में अंडरग्राउण्ड वाटर टैंक की क्षमता 50,000 लीटर होनी चाहिए।

सी– सभा गृह–

1. 150 व्यक्तियों की बैठक क्षमता के सभा गृह के लिए कम से कम 02 निर्बाध निकासी द्वारा जो कि सभा गृह के अंतिम छोर में बनाए गए हों व जिनमें प्रत्येक की चौड़ाई 1.5 मीटर होना आवश्यक है साथ ही प्रत्येक निकासी द्वारा हमेशा भवन के बाहरी भाग में खुलता हो।
2. सभागृह के स्टेज के समीप कोई एक फस्टएड होज रील स्थापित करवाई जावे।
3. यदि स्टेज का निर्माण लकडी से एवं /अथवा परदों से किया गया है, तो स्वचलित सिप्रंकलर प्रणाली को स्टेज में स्थापित करवाया जावे।
4. प्रत्येक भवन के भूतल में स्प्रिंकलर सिस्टम स्थापित करवाया जावे।
5. आपातकालीन लाईट व्यवस्था करवाई जावे।
6. स्फटीय (चमकीला) निकासी चिन्ह प्रत्येक निकासी द्वार पर स्थापित करवाया जावे।
7. अग्निदुर्घटना की स्थिति में धूँए की निकासी के लिए छत (भीतरी छत) पर पर्याप्त मात्रा में एग्जास्ट फैन लगाए जावें।
8. भवन/सभा गृह में भूतल होने की स्थिति में 450 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का फायर पंप, जिसकी वाटर हैड क्षमता (पानी को ऊँचाई तक पहुँचाने की क्षमता) 40 मीटर (प्रेशर –4 किग्रा/वर्ग सेमी), एवं 180 लीटर प्रति मिनिट क्षमता का एक जोकी पंप जिसकी वाटर हैड क्षमता (पानी को ऊँचाई तक पहुँचाने की क्षमता) 40 मीटर (प्रेशर –4 किग्रा/वर्ग सेमी) को छत पर स्थापित करवाया जावे। सभी पंप स्वचलित स्थिति में होने चाहिए।
9. 5000 लीटर का एक ओवरहैड टैंक (छत पर रखे जाने वाला) अनिवार्य रूप से स्प्रिंकलर सिस्टम को जल प्रदाय किये जाने हेतु स्थापित किया जावे।

3– सुझाव–उपाय

1. एक अच्छी आंतरिक भवन व्यवस्था के लिए यह सुनिश्चित किया जावे कि भवन के किसी भी भाग को गंदा/अस्वच्छ न छोड़ा जावे एवं ज्वलनशील पदार्थों को एक स्थान पर एकत्र कर न रखा जावे तथा ज्वलनशील पदार्थों इस प्रकार से संधारित/रखा जावे ताकि अग्निदुर्घटना की स्थिति में वे हवा से विखर न सकें।
2. उपरोक्तानुसार उपाय/सावधानियॉ उन भवनों के उपयुक्त नहीं हैं, जिन्हें भवन निर्माण के संपूर्ण नियमों के तहत अनुमति प्रदान की गई है अथवा वे भवन जो आंशिक अथवा पूर्ण रूप से वातानुकूलित हों। ऐसे भवनों में स्कूल भवनों का निरीक्षण पुलिस अग्निशमन सेवा मुख्यालय, भोपाल के अधिकारियों से करवाया जाकर अग्निसुरक्षा के मानकों/उपायों को प्राप्त किया जावे।

3. वे स्कूल भवन जिन्हें नवीन मान्यता/उन्नतीकरण किया जाना है, ऐसे स्कूल भवन आवेदकों द्वारा निदेशक (शिक्षा) द्वारा जारी निर्देशों का पालन एवं फायर एवं इमरजेंसी सेवा मुख्यालय भोपाल से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण–पत्र लगाना अनिवार्य होगा, जिसके आधार ही स्कूल को मान्यता/उन्नतीतकरण प्रमाण–पत्र दिया जावे।

4. स्कूलों, महाविद्यालयों/यूनिर्वसिटी, इन्स्टीट्शन भवनों को अस्थाई अनापत्ति प्रमाण–पत्र केवल "अग्नि प्राधिकारी" (व्यावसायिक) द्वारा ही अग्नि मूल्यांकन तथा निरीक्षण उपरांत सही अग्नि व्यवस्था पाए जाने के उपरांत ही जारी किये जावेंगे और प्रत्येक वर्ष अनापत्ति प्रमाण–पत्रों का नीवीनकरण कराया जाना सुरक्षा की दृष्टि से अनिवार्य होगा।

30/11/09

(विश्वमोहन उपाध्याय)
सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग

पृष्ठांकन कमाक– F-12/39/09/B-I/
भोपाल, दि: 30.11.09

प्रतिलिपि:

1. संयुक्त सचिव, डिजास्टर सैल, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ।
2. शासन के समस्त विभाग,
3. पुलिस महानिदेशक, म0प्र0
4. पुलिस महानिरीक्षक, अग्नि एवं आपातकालीन सेवाएं, म.प्र. मुख्यायल, भोपाल।
5. समस्त पुलिस अधीक्षक, म0प्र0
6. विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी एवं राज्य स्तरीय अग्नि एवं आपातकालीन विशेषज्ञ (व्यावसायिक), की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु।

सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।

30/11/09

अवर सचिव
मध्यप्रदेश शासन, गृह विभाग